(314) (422)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0 ,कैम्प रीवा, म0प्र0

R.5101-से/15

(रिकार्ड उपलब्ध नहीं है)

बदरूद जमा तनय रज्जाक ﴾मृत﴿ जरिये वारिसान-

1- कलीमुजमा ﴾
2- सलीमुजमा ﴾ सभी के पिता स्व. बदरूजमा
3- हमीमुजमा ﴾
4-वहीमुजमा ﴾
5-सईदुजमा ﴾

सभी निवासी अमौधाकला, पतेरी, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0

:--- निगरानीकर्तागण

बनाम

1- भुवनेश्वर वर्मा तनय रामानन्द वर्मा साकिन अमौधाकला पतेरी, वृत्त रैगांव, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0,

2- सुमेश्वर वर्मा तनय हरिशंकर वर्मा साकिन अमौधाकला, पतेरी, वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ------- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार रैगांव तहसील रघुराजनगर, जिलासतना म0प्र0 , के प्रकरण क्र. 67-अ-12/2002-03, पारित आदेश दिनांक 25.6.03, को निरस्त किये जाने ।

================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई. ।

================================

श्री जयप्रकाश मिश्रा
12-10-15
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीतहोने

कलीमुज्जमा

मध्यप्र ... अभिभा...

(314)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5101– II / 2015 जिला–सतना

बदरूदजमा वगैरः / भुवनेश्वर वर्मा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त रैगांव, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 67 / अ–12 / 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	